UPJS010067312022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
उपस्थितः–शिव कुमार तिवारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड–UP1646
सत्र वाद संख्या–1081/2022

राज्य ..... **अभियोगी।**

बनाम

श्रीमती मोहिनी विश्वकर्मा पत्नी श्री विजय कुमार, निवासी–तलैया नैनागढ़ नगरा नाले के पीछे, थाना–प्रेमनगर, जिला–झाँसी ..... अभियुक्ता ।

मु०अ०सं०–654/2020
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी

निर्णय

थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी के मु०अ०सं०–654/2020 में अभियुक्ता श्रीमती मोहिनी विश्वकर्मा का विचारण धारा–135 विद्युत अधिनियम के आरोप के अन्तर्गत किया गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27–02.2020 को लगभग 07.30 बजे जब वादी मुकदमा पवन कुमार आर्या अवर अभियंता, ने अपने स्टाफ के साथ थाना–एण्टी पावर थेफ्ट स्थित अभियुक्ता के परिसर की चैकिंग की गयी तो अभियुक्ता मीटर केबिल के अतिरिक्त पास की एल०टी० लाइन के वितरण बाक्स से एक अतिरिक्त केबिल जोड़कर अपने परिसर में विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते हुये पाया गया।

वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में अभियुक्ता श्रीमती मोहिनी विश्वकर्मा के विरूद्ध मु०अ०सं०–654/2020, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विवेचना प्रारम्भ की गयी, घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहों के बयान अंकित किये एवं विवेचना के पश्चात् अभियुक्ता के विरूद्ध विचारण हेतु आरोप पत्र अं० धारा–135 विद्युत अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्ता ने इन्कार किया व विचारण किये जाने की याचना की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में जयेश कुमार बजाज को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात् बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता धारा–294 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है। पी०डब्ल्यू०–1 जयेश कुमार बजाज ने अपने बयान में अभियुक्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का समर्थन करते हुये विद्युत विभाग द्वारा जारी पत्रांक–177 दिनांकित 24–04–2026, प्रदर्श क 1, को साबित किया है, जिसमें शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण को जमा किये जाने का अंकन है। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण का भुगतान कर दिया गया है, अब कोई बकाया शेष नहीं है।

अभियुक्ता का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया

Digitally signed by SHIV KUMAR TIWARI
Date: 2026.06.30 12:59:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया, जिसमें अभियुक्ता ने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। अभियुक्ता ने राजस्व निर्धारण, शमन शुल्क एवं सम्पूर्ण बकाया जमा करने का कथन किया है। सफाई साक्ष्य देने व अन्य कुछ कहने से इन्कार किया।

अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुना। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वाद को शमित किए जाने में आपत्ति न होने का कथन किया है।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पी०डब्ल्य०–1 जयेश कुमार बजाज ने अपने बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये विद्युत विभाग द्वारा जारी पत्रांक–177 दिनांकित 24–04–2026, जिसमें शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि को जमा किये जाने का अंकन है, को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में बयान दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपने संयोजन से सम्बन्धित प्रकरण की समस्त धनराशि का भुगतान किया गया है, जिसके पश्चात अभियुक्ता की ओर से किसी धनराशि का भुगतान शेष नहीं है। प्रदर्श क–1 में वाद को निस्तारित किये जाने में विद्युत विभाग को आपत्ति न होने को अंकित होना भी स्वीकार किया है।

इस प्रकार पत्रावली (विशेषतया प्रदर्श क–1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता द्वारा निर्धारित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण का भुगतान कर दिया गया है। अब कोई बकाया शेष नहीं है। विद्युत विभाग ने वाद के निस्तारण में आपत्ति न होने का कथन किया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसे मामले में, जिसमें नियमानुसार शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा कर दिया गया हो, तो वहां पर कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी और न ही अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आगे चलायी जायेगी। इस प्रकार धारा 152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम का अपराध शमनीय है तथा सम्पूर्ण धनराशि अभियुक्ता द्वारा स्वीकृत रूप से जमा की जा चुकी है।

उपरोक्त परिस्थिति में धारा 152 (2) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शमन के आधार पर अभियुक्ता दोषमुक्त किये जाने योग्य है। असेस्मेण्ट के उपरान्त यदि कोई देय शेष होता है, तो अभियुक्ता नियमानुसार उसको अदा करेगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता श्रीमती मोहिनी विश्वकर्मा को मुकदमा अपराध संख्या–654/2020 अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी के आरोप से शमन के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता जमानत पर है। अभियुक्ता के जमानतनामें व व्यक्तिगत्त बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। यदि कोई बकाया धनराशि अवशेष हो, तो विद्युत विभाग नियमानुसार वसूल करेगा।

दिनांक–30.06.2026

(शिव कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

दिनांक–30.06.2026

(शिव कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)